राजस्व अपील संख्या 133 / 2022
अनवान
इन्द्राराम वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेतरावा

दिनांक 29 –03–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा पारित आदेश कमांक / प्र.ग.स. / 2021 / 595 दिनांक ----- के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिसके साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है।

वकील अपीलांट श्री पूनाराम विश्नोई रेस्पो० की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री नवलसिंह दहिया उपस्थित । तथा केवियटर श्री भंवरसिंह टापू उपस्थित । केवियटर अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का उक्त अपील मे पक्षकार बनाने बाबत प्रस्तुत किया।

अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पर पक्षकारो के अधिवक्ता एवं प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का भी गहनता से अध्ययन किया जिसके आधार पर प्रार्थी अधिवक्ता श्री भंवरसिंह टापू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

वर्तमान अपील मे अपीलान्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमे पक्षकार बनाये बिना, नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये हमारी खातेदारी भूमि मे से रास्ता निकाल दिया तथा अपीलांट के खातेदारी की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप मे दर्ज कर दिया जबकि विधि के प्रावधान अनुसार किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि बिना खातेदार की सहमति के तथा उसको सुने बिना खातेदारी भूमि का रकबा कम नही किया जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के रास्तो सम्बधी जारी परिपत्र मे भी सुनवाई का अवसर देने के निर्देश होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि एवं न्यायसंगत नही होने से उसे निरस्त करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय मे रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

लगातार --- 2

अप्रार्थी अधिवक्ता श्री टापू ने मौखिक कथन किया कि पक्षकारो मध्य आपसी राजीनामा का प्रयास चल रहा है तथा राजीनामा हो जाने की सम्भावना है। तब तक अपील को पेडिग रखी जाने का निवेदन किया । जिस पर अपीलान्ट अधिवक्ता ने ऐसा कोई राजीनामा होने की जानकारी नही होना बताया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश जो ग्राम कालूसिह नगर तहसील सेतरावा के सबंध मे पारित किये गये आदेश क्रमांक 595 दिनांक ——— एव पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एव अध्ययन किया। जिसके अनुसार प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो समर्थन योग्य नही माना जा सकता है।

परिणामस्वरूप अपीलान्ट की उक्त अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक/प्र.ग.स./2021/595 दिनांक ——— को निरस्त किये बिना इस आशय के अतिरिक्त निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट, रेस्पो0 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी मे उल्लेख अनुसार एवं हितबद्ध पक्षकारो को सुनवाई का नोटिस जारी कर, उसे सुनकर उसकी उपस्थिति मे रास्ते बाबत मौका निरीक्षण करे। उक्त कार्यवाही एक माह मे सम्पादित करते हुए पक्षकारान के खातेदारी की भूमि मे से रास्ते के सम्बध मे पुनः विधिसमत निर्णय पारित करे। तब तक अपीलाधीन आदेश मे वर्णित अपीलान्टगण के खातेदारी के खंसरा नं. 154 की भूमि पर किसी प्रकार की कार्यवाही नही करे। इस अतिरिक्त निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर